न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2024(GCMS 2024/179)
(आरटीआई संख्या 21236971725953)

श्री सोनू कुमार, वार्ड नं. 02, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 83858—78078)

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

<u>09.10.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सोनू कुमार स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2024 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सोनू कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2018 में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए, उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।
2. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019 में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।

3. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020 में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए, उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।

4. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2021 में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए, उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।

5. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए, उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।

6. आपके विभाग द्वारा जारी वर्ष 2[illegible] में जारी किए गए धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गए, उनकी कुल संख्या कितनी है, कृपा जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की संख्या कितनी है, प्रमाणित सहित बताए विभाग का जो भी शुल्क होगा मेरे द्वारा दिया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 476 दिनांक 07.10.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि** अपीलार्थी श्री सोनू कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन अपील पत्र व ऑनलाईन आवेदन नं. 21274523637918 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा वर्ष 2018 से 2023 तक वर्षवार जारी किये गये धाणका जाति के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र कितने जारी किये गये, उनकी कुल संख्या कितनी है, सूचना चाही गई है।
>
> श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1149 दिनांक 27.02.2020 के निर्देशानुसार जिले में धाणका (अनुसूचित जनजाति) के लोग निवासरत नही है। धानक (अनुसूचित जाति) के ही लोग निवास करते है एवं धानक जाति अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते है। श्रीमानजी ऑनलाईन ई–मित्र पोर्टल पर पृथक से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं है एवं न ही अलग से रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। रिपोर्ट श्रीमान्जी को सादर् प्रेषित है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 476 दिनांक 07.10.2024 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर